लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
राज्य मंत्री
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

(परशोत्तम रूपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

वर्ष 2012-13 के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के कार्यक्रमों की समीक्षा

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-1-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था । दिनांक 09-2-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग ने समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु.25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

वित्त वर्ष 2012-13 के खातों की वर्ष 2014 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय द्वारा नामिकागत चार्टर्ड एकाउंटेंट मेसर्स उमेश बाबू अग्रवाल द्वारा लेखापरीक्षा की गई थी । वित्त वर्ष 2012-13 हेतु आय एवं व्यय लेखा का सार निम्नलिखित हे :

मद	रुपए लाख में
ब्याज तथा अन्य से आय	186.98
घटाएं : प्रशासनिक व्यय	12.00
व्यय से अधिक आय	174.98
घटाएं : आयकर का प्रावधान	46.07
जनरल रिजर्व से अंतरित शेष	128.91
कुल	174.98

श्री शैलेंद्र कुमार निदेशक(डी.ए.सी.) को मार्च, 2012 में एन.सी.सी.डी. के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जनवरी, 2013 तक इस पद पर रहे । श्री संजीव चोपड़ा, संयुक्त सचिव(एन.एच.एम.) ने फरवरी, 2013 से एन.सी.सी.डी. के निदेशक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार संभाला । अप्रैल 2012 में,

उद्योग से एक कोल्ड-चेन पेशेवर श्री पी. कोहली को केंद्र को प्रेरित करने के लिए नि:शुल्क समर्थन प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था । सितंबर, 2012 में वह एन.सी.सी.डी. के संचालन में सहायता करने के लिए मुख्य सलाहकार के रूप में आधिकारिक तौर पर जुड़े । इसके बाद दो सहायता सहायकों तथा एक लेखा अधिकारी को अक्तूबर/नवंबर 2012 में काम पर रखा गया था ।

एन.सी.सी.डी को एक कार्यात्मक कार्यालय स्थापित करने के लिए नवंबर, 2012 में कमरा संख्या 645, ए विंग, निर्माण भवन आबंटित किया गया था । अनुबंध के नियमों और शर्तों पर, स्टाफिंग स्तर, तीन समर्पित कर्मचारियों की ताकत के साथ न्यूनतम है

गतिविधियों और उपलब्धियों की समीक्षा

- वर्ष 2012 में सरकारी और निजी क्षेत्र के कई हितधारकों के परामर्श से एक रोडमैप दस्तावेज तैयार किया गया था ।
- शुरू में एक व्यावसायिक सलाहकार और दो सहायक कर्मचारी की एक छोटी टीम के साथ निर्माण भवन में कृषि मंत्रालय के तहत एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी । पेशेवर सलाहकार और सहायक कर्मचारियों को एक ई.ओ.आई तथा उचित चयन प्रक्रिया के माध्यम से लिया गया था ।
- एन.सी.सी.डी की सदस्यता मानदंड को संशोधित किया गया और निजी उद्योग एवं हितधारक की भागीदारी के दायरे को व्यापक बनाने के लिए जनवरी, 2013 में इसे ओपेन इंडेड कर दिया गया है ।
- एन.सी.सी.डी विभिन्न हितधारक बैठकों में शामिल हुआ है, जिसमें लॉजिस्टिक सेक्टर के हितधारकों के साथ प्रशीतित परिवहन पर एक सम्मेलन(कॉनक्लेव) आयोजित करना शामिल है। एन.सी.सी.डी ने कृषि और सहकारिता विभाग के लिए कोल्ड-चेन विकास संबंधी नीति पर नियमित इनपुट और मौजूदा हस्तक्षेप प्रदान कर रहा है ।
- फ्रांस के सेमाफ्रॉइड ने एन.सी.सी.डी को कोल्ड-चेन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित किया । इस समझौता ज्ञापन(एम.ओ.यू.) पर 2 अप्रैल, 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे, जब एन.सी.सी.डी को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय कोल्ड-चेन और निरंतरता(सस्टेनेबिलिटी) सममेलन में सम्मानित अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था । इसके बाद फ्रांस के कृषि मंत्रालय ने भारत-फ्रांस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एन.सी.सी.डी के साथ प्रशिक्षण पहल के लिए एक सब्सिडी देने का प्रस्ताव दिया है ।
- इस अवधि में एन.सी.सी.डी को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा पांच निवेश गोलमेज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर
रखे जाने वाले कागजात

अधिप्रमाणित

परशोत्तम रूपाला
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली

(परशोत्तम रुपाला)
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री

राष्ट्रीय कोल्ड-चेन विकास केंद्र (एन.सी.सी.डी.) के वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को लोक सभा एवं राज्य सभा के पटल पर प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

एन.सी.सी.डी. को दिनांक 27-01-2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और सोसायटी के सदस्यों के रूप में हितधारकों के साथ सार्वजनिक-निजी-भागीदारी(पी.पी.पी.) मोड में संचालित करने के लिए संरचित किया गया था। दिनांक 09-02-2012 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद कृषि और सहकारिता विभाग को समान धनराशि का कॉर्पस स्थापित करने हेतु रु. 25 करोड़ का एक बार(वन टाइम) का अनुदान प्रदान किया । ताकि एन.सी.सी.डी. द्वारा ब्याज से आय और प्रदान की गई सेवाओं के लिए ली गई फीस और प्रभारों से उत्पन्न अन्य आय का इसके प्रशासनिक, कार्मिकों तथा अन्य लागतों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाए, जैसा कि इसे शासी परिषद द्वारा तय किया गया है । एन.सी.सी.डी की इस तरह संरचना की गई कि सरकार पर इसके संचालन और रखरखाव के लिए आगे कोई लागत का बोझ नहीं पड़ता है ।

जीएफआर के प्रावधान के अनुसार, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटीयों, जिनको रु 50.00 लाख और उससे अधिक एकमुश्त सहायता / गैर-आवर्ती अनुदान प्राप्त हुआ है, की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अन्दर सदन के पटल पर रखे जाने चाहिए। इस प्रकार एनसीसीडी की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे दिसंबर, 2013 तक संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने थे। हालाँकि, वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 13.12.2017 को एनसीसीडी द्वारा विभाग को प्रस्तुत की गई थी।

एनसीसीडी के एम. ओ. ए. के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों को एनसीसीडी की गवर्निंग काउंसिल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गवर्निंग काउंसिल ने 21.12.2018 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों

को अनुमोदित किया। तत्पश्चात वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखों का अनुवाद किया गया और मुद्रित किया गया जिसमें कुछ समय लगा।

इसलिए, सदन के पटल पर वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने में देरी हुई है। कृपया विलम्ब के लिए क्षमा करें।